कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ़, अरण्य भवन, मेडिकल कालेज रोड, रायपुर
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – कैम्पा)

फोन: 0771–2552209 मोबाईल नं: 96308–50792 ई मेल: **apccfsfri@yahoo.in**

क्रमांक /एफ/कैम्पा/7–2/ए.पी.ओ./तैयारी/27 रायपुर, दिनांक 15.01. 2010

प्रति,

1. समस्त वन संरक्षक (क्षेत्रीय,कार्य आयोजना तथा वन्यप्राणी)
2. समस्त वनमंडलाधिकारी (क्षेत्रीय, कार्य आयोजना, एफ.एम.आई.एस. एवं अनु. विस्तार)
   छत्तीसगढ़, रायपुर

विषय :– **राज्य कैम्पा – ए.पी.ओ. 2009–10 को अंतिम रूप देने हेतु दिनांक 28. 01. 2010 को मुख्यालय रायपुर में बैठक आयोजन करने बाबत् ।**

––––00––––

विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य कैम्पा फण्ड से विकास कार्य करने हेतु ए.पी.ओ. 2009–10 का अंतिम रूप देने के लिए दिनांक 28. 01. 2010 को प्रातः 10.30 बजे वन परिसर पंडरी में प्रधान मुख्य वन संरक्षक महोदय की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई है। ए.पी.ओ. 2009–10 के अन्तर्गत विभिन्न घटकों के लिए तालिका 1 में दर्शायानुसार राशि प्रस्तावित है।

तालिका – 1 **Annual Plan of Operations 2009-10 - Abstract**

S.No.	Component	Amount in (Rs. Crores)	Incharge Officers
I	**Proposed Activities using Funds for CA**		
1.	Compensatory afforestration	**15.00**	CCF (Land management)
II	**Proposed Activities using NPV Funds**		
2.1	High tech plantations & other works	25.00	CCF (Dev./Pla.)
2.2	Forest protection	12.76	CCF (Protection)
2.3	IT in forestry & working plan support system	15.00	CCF (IT&HRD)
2.4	Research and Training	13.00	Director,SFRTI CCF (R&E)
2.5	Medicinal plants development	3.00	CEO, Medicinal Plant Board
2.6	Infrastructure development and staff amenities	19.74	APCCF (Admn)
2.7	Wild life & biodiversity conservation.	17.00	CWLW
3	CAMPA Administration	0.21	APCCF (CAMPA)
4	Monitoring & Evaluation @ 2%	2.46	CCF (Monitoring)
	Sub total	**108.17**	
	Grand total	**123.17**	

प्रत्येक घटक के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यवार प्रस्ताव तथा अपेक्षित कार्यवाही के संबंध में संक्षिप्त विवरण संलग्न परिशिष्ट–1 में दिया गया है। उपरोक्त कार्यो के लिए वर्ष 2009–10 में संभावित व्यय राशि विवरण परिशिष्ट – 1 के तालिका 2 में दिया है। अतः आपके वनमंडल से संबंधित कार्यो को लिए स्थलवार परियोजना प्रस्ताव तैयार कर वन संरक्षक को प्रस्तुत करें। वन संरक्षक द्वारा प्रस्ताव परीक्षण कर तकनीकी रूप से उचित पाये जाने पर तकनीकी स्वीकृति देते हुए विषयवार संकलित प्रतिवेदन सह प्रस्ताव संबंधित विषय के प्रभारी अ.प्र.मु.व.सं./मु.व.सं. को 18. 01. 2010 तक भेजा जावेगा।

संबंधित अ.प्र.मु.व.सं./मु.व.सं. द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव परीक्षण कर राज्य के संकलित प्रतिवेदन मय प्रस्ताव दिनांक 20. 01. 2010 तक कैम्पा को भेजा जावेगा। इस हेतु परिशिष्ट – 2 में दिये प्रारूप में प्रस्ताव के संक्षिप्त विवरण विस्तृत परियोजना प्रस्ताव के साथ **अंग्रेजी में साफ्ट तथा हार्ड कापी** भेजना सुनिश्चित करें। ध्यान रहे कि इस संदर्भ में व.म.अ. /वन संरक्षक द्वारा सीधे इस कार्यालय को भेजने वाले प्रस्ताव तथा सक्षम अधिकारी से तकनीकी स्वीकृति के बिना भेजे गये प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा।

विभाग के वेब साईट www.cgforest.com, www.cgforest.nic.in में CAMPA संबंधी समस्त Notification, समय–समय पर जारी निर्देश उपलब्ध होगा जिसे डाऊनलोड कर उपयोग किया जा सकता है।

उपरोक्त प्रस्ताव परीक्षण के उपरान्त ए.पी.ओ. 2009–10 में सम्मिलित कर राज्य स्तर स्टीरिंग कमेटी का अनुमोदन शीघ्र प्राप्त की जावेगी। इस संबंध में किसी भी प्रकार के मार्गदर्शन के लिए अधोहस्ताक्षरकर्ता से संपर्क करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

14/1/10

(डॉ. ए.ए. बोआज)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – कैम्पा
छत्तीसगढ़, रायपुर

पृ. कमांक / एफ/कैम्पा/7–2/ए.पी.ओ./तैयारी/28 रायपुर, दिनांक 15. 01. 2010

प्रतिलिपि :–

1. स्टाफ आफीसर,प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़, रायपुर।
2. प्रबंध संचालक, राज्य वन विकास निगम, छत्तीसगढ़, रायपुर।
3. प्रबंध संचालक, राज्य लद्युवनोपज संघ, छत्तीसगढ़, रायपुर।
4. मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, छत्तीसगढ, रायपुर।
5. संचालक, राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, छत्तीसगढ़, रायपुर।
6. समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक/ वन संरक्षक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य वनौषधी बोर्ड की ओर सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार जानकारी 20. 01. 2010 तक भेजने बाबत्।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

14/1/10

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – कैम्पा
छत्तीसगढ़, रायपुर